राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD

(राज0 आवा0 मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

क्रमांक : रा.आ.मं./मु.अभि.मु./2022-23/ 952
दिनांक : 18 / 07 / 2022

-: कार्यालय-आदेश :-

संवेदक फर्म मैसर्स एन.एम. रूफ डिजाइनर्स लि0 का अस्थायी पंजीबद्धीकरण (Enlistment) श्रेणी "एए", सिविल कार्य हेतु दिनांक 11.01.2017 तक के लिए किया गया था जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (EPFO) ने पत्रांक RJ/RO/RAJ/13596/Recovery/3738 दिनांक 08.03.2022 द्वारा PROHIBITORY ORDER (NOTICE UNDER SECTION 8F(3) OF EPF & MP ACT,1952) जारी कर आवासन आयुक्त महोदय को प्रेषित किया है। जिसके अनुसार आवासन मण्डल को मैसर्स एन.एम. रूफ डिजाइनर्स लि0 से राशि रू0 251007/- वसूल कर Regional P.F. Commissioner, Jaipur को हस्तांतरित की जानी है।

उपरोक्त वसूली हेतु मण्डल के सभी जोन / वृत्त / खण्ड कार्यालयों को पत्रांक 43/06.04.2022 द्वारा सूचित किया गया, कि उनके कार्यालय द्वारा संवेदक मैसर्स एन.एम. रूफ डिजाइनर्स लि0 को किसी प्रकार का भुगतान किया जाना हो या संवेदक की राशि कार्यालय में जमा हो तो अवगत करायें। सूचना अनुसार ज्ञात हुआ कि किसी भी कार्यालय में संवेदक को भुगतान देय नहीं है तथा संवेदक की राशि जमा नहीं है। उक्त पत्रांक की प्रतिलिपि संवेदक मैसर्स एन.एम. रूफ डिजाइनर्स लि0 को भी पंजीबद्धीकरण (Enlistment) आदेश में अंकित पते पर प्रेषित की गई थी परन्तु पत्र वापस लौट आया।

संवेदक / फर्म की आवासन मण्डल में पंजीबद्धीकरण हेतु धरोहर राशि के रूप में रू0 4,00,000/- की राशि की एफडीआर जो कि मण्डल के पक्ष में प्लेजड़ (Pledged) है, लेखाधिकारी (भुगतान) कार्यालय में जमा है। प्रकरण के निर्णयार्थ दिनांक 29.06.2022 को आवासन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्य अभियन्ता (मु0), मुख्य अभियन्ता (प्रथम), वित्तीय सलाहकार, उप आवासन आयुक्त (मु0) एवं उप वित्तीय सलाहकार उपस्थित थे।

बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन द्वारा संवेदक / फर्म के विरूद्ध आरोपित राशि 251007/- की वसूली संवेदक / फर्म द्वारा पंजीबद्धीकरण हेतु जमा धरोहर राशि रू0 4,00,000/- में से करके कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य अभियन्ता (मु.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः
1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता प्रथम / द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर को उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. Assistant Provident Fund Commissioner / Recovery Officer, Nidhi Bhawan, Vidyut Marg, Joyti Nagar, Jaipur-302005. E-mail: ro.jaipur@epfindia.gov.in
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता - प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर / जोधपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय) / गुणवत्ता नियंत्रण / परियोजना शाखा / वृत्त...........
7. समस्त आवासीय अभियंता (ई-प्रोक) / खण्ड विद्युत / पीएचई-प्रथम / द्वितीय / खण्ड......................
8. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा0आ0म0, जयपुर - ई-मेल से सम्बन्धितों को प्रेषित करने एवं विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्पदा प्रबन्धक (अभिलेख), रा0आ0म0, जयपुर
10. मैसर्स N.M. Roof Designers Ltd (Director- Shri Deepak Sogani, Smt. Dolly Sogani & Shri Ashish Sogani) पता- C-41, Tarun Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Raj,) (Mobile No. 09829052666) Email : nmrdjaipur@yahoo.co.in
11. कार्यालय / रक्षित पत्रावली।

तकनीकी सहायक-मुख्य अभियन्ता (मु.)

☆ मण्डल का यह सपना, सुन्दर घर हो सबका अपना ☆